



महेन्द्र कुमार, भा0प्र0से0  
जिलाधिकारी, सुपौल।

बिहार सरकार  
समाहरणालय, सुपौल  
सुपौल-852131  
(जिला पंचायत)

दूरभाष: 06473-223112 (कार्या0)  
06473-224210 (फैक्स)  
06473-223111, 223311 (आवास)  
06473-223041 (फैक्स)  
E-mail: dm-supaul.bih@nic.in  
Website : http://supaul.nic.in

### (नियोजन -पत्र)

सरकार के प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार पटना के संकल्प संख्या-4046/पं0रा0, पटना, दिनांक 25.07.2018 एवं पत्रांक 300, पं0रा0 पटना, दिनांक 14.01.2019 पत्रांक (गो0) पं0रा0, दिनांक 30.02.2020 में दिये गये निदेश के आलोक में दिनांक 21.01.2021 को आयोजित जिला चयन समिति की बैठक कार्यवाही ज्ञापांक 71-2/जि0पं0, सुपौल, दिनांक 22.01.2021 द्वारा तकनीकी सहायक के पद पर नियोजन हेतु चयनित निम्न अभ्यर्थियों को वर्णित शर्तों के अधीन निर्धारित मानदेय राशि मो0 27,000=00 (सताईस हजार) रूपये मात्र प्रतिमाह की दर से दिनांक 31 मार्च, 2021 तक के लिए संविदा के आधार पर नियोजित किया जाता है :-

क्र0	मेधा क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	जन्म तिथि	आरक्षण कोटि
1	2	3	4	5	6	7
1	67	श्री कौशल कुमार चौपाल	कपिलदेव चौपाल	ग्राम-औरिया रमोति (दिवरा), पो0-मूरादपुर, थाना-नवहट्टा, जिला-सहरसा।	15.12.1994	SCF
2	68	श्री कुंदन कुमार पासवान	श्री हरेराम पासवान	ग्राम+पो0-पाण्डेयपट्टी, थाना-जदिया, जिला-सुपौल	13.08.1997	SCF
3	75	बबली कुमारी	श्री राजेश प्रसाद राजेश	ग्राम-लालु नगर, वार्ड नं0-01, प्रखंड+पो0+जिला-मधेपुरा।	07.02.1989	URF

#### तकनीकी सहायक का निम्नवत् दायित्व होगा :-


- तकनीकी प्रबंधन सुनिश्चित करना।
- वार्ड प्रबंधन एवं कार्यान्वयन समिति द्वारा क्रियान्वित होने वाले कार्यों का प्राक्कलन बनाना।
- तकनीकी अनुश्रवण, मापी-पुस्तिका का संधारण, ऑनलाईन रिपोर्टिंग, प्राक्कलन की विशिष्टियों के अनुरूप कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
- जिला पंचायत राज पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी/प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा समय-समय पर आवंटित अन्य कार्य।

#### शर्त :-

- यह नियोजन दिनांक 31 मार्च, 2021 तक मान्य होगा। आवश्यकता होने पर अवधि विस्तार किया जा सकेगा।
- नियोजित तकनीकी सहायक को सभी शैक्षणिक मूल प्रमाण-पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, एकरानामा (परिशिष्ट-1) के साथ दिनांक 08.02.2021 तक जिला पंचायत राज कार्यालय, सुपौल में अपना योगदान समर्पित करना होगा। निर्धारित अवधि के पश्चात योगदान स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- संविदा शर्तों के अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा जिला पंचायत राज पदाधिकारी के साथ एकरारनामा करेंगे।
- प्रखंड विकास पदाधिकारी के प्रतिवेदन पर चयनित तकनीकी सहायक को हटाने का अधिकार जिला पंचायत राज पदाधिकारी को होगा।




5. जिला पंचायत राज पदाधिकारी के आदेश के विरुद्ध जिला पदाधिकारी के स्तर पर अपील की जा सकेगी। जिला पदाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
6. मानदेय : इन कर्मियों को पंचायती राज विभाग द्वारा निर्धारित मासिक मानदेय देय होगा। तत्काल तकनीकी सहायक को 27,000=00(सत्ताइस हजार) रूपया प्रतिमाह का मानदेय अनुमान्य होगा। इसमें समय-समय पर वित्त विभाग की सहमति से वृद्धि की जा सकेगी।
7. नियोजित अभ्यर्थी को पंचायती राज विभाग, बिहार पटना के संकल्प संख्या-4046/पं0रा0, पटना, दिनांक 27.07.2018 द्वारा निर्धारित मासिक मानदेय का भुगतान पदस्थापित कार्यालय से प्राप्त अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर जिला पंचायत राज कार्यालय, सुपौल द्वारा किया जायेगा।
8. मानदेय के आधार पर चयनित ये कर्मी न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न ही सरकारी सेवकों के अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार माने जायेंगे। मानदेय के आधार पर चयनित इस कर्मियों द्वारा सरकारी सेवा में नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
9. मानदेय आधारित चयनित कर्मियों के चयन की अवधि समाप्ति के पूर्व यदि अवधि विस्तार नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका नियोजन स्वतः समाप्त माना जाएगा और इसके लिए अलग से कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।  
इसकी सूचना संबंधितों को दी जाय।



जिलाधिकारी,  
सुपौल।

ज्ञापांक.....121-2...../जि0पं0, सुपौल, दिनांक.....02/02...../2021

- प्रतिलिपि- सभी संबंधित अभ्यर्थियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि- सभी ग्राम पंचायत के मुखिया/सभी पंचायत सचिव, सुपौल-जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि- जिला नाजिर, समाहरणालय, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि- सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सुपौल जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सुपौल को सूचनार्थ एवं NIC सुपौल के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि- सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सुपौल-जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि- जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण कार्य प्रमंडल (P.H.E.D.) सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि- सिविल सर्जन, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि- उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि- उप विकास आयुक्त, सुपौल को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि- निदेशक, पंचायती राज विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

  
12/2/2021  
जिलाधिकारी,  
सुपौल।